फैक्स/ई-मेल

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद-1

संख्या:चार-5005(निर्देश)-2016 दिनांक: जुलाई 20, 2016

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश।

विषय: राज्य सम्पत्ति विभाग, उ0प्र0 शासन के अधीन कालोनियों में अध्यासित अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति पर अदेयता प्राप्त करना।

कृपया उपर्युक्त विषयक पुलिस महानिरीक्षक, स्थापना, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या:डीजी-चार-105(01)2016, दि0 23.06.2016 एवं तत्संलग्न शासन के पत्र संख्या: आर-4729/32-2-2016-25/2015, दिनांक 20.06.2016 (छाया प्रतियां संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासन के उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 20.06.2016, जो अन्य के साथ समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0 को सम्बोधित है, द्वारा अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवानैवृत्तिक देयकों के भुगतान से पूर्व राज्य सम्पत्ति विभाग से सरकारी आवास सम्बन्धी अदेयता प्रमाण पत्र अवश्य प्राप्त करने तथा अदेयता प्रमाण पत्र प्राप्त होने की पुष्टि के उपरान्त ही सेवानैवृत्तिक देयकों का भुगतान कराने हेतु निर्देशित किया गया है। साथ ही यह भी निर्देश दिये गये हैं कि राज्य सम्पत्ति विभाग से अदेयता प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना ही सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के सेवानैवृत्तिक देयकों का भुगतान विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष द्वारा कर दिया जाता है तथा अधिकारी/कर्मचारी को सरकारी आवास के किराये का भुगतान अवशेष पाया जाता है तो उक्त बकाये की धनराशि के भुगतान हेतु सम्बन्धित अधिकारी को दोषी पाते हुए उनसे वसूली की नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

3- अतएव अनुरोध है कि कृपया उक्त शासनादेश द्वारा दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों/ कर्मचारियों से राज्य सम्पत्ति विभाग से सरकारी आवास सम्बन्धी अदेयता प्रमाण पत्र की पुष्टि के उपरान्त ही सेवानैवृत्तिक देयकों का भुगतान कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:उपरोक्तानुसार।

(ज्ञान सिंह)
वित्त नियंत्रक,
उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय,
इलाहाबाद।

संख्या तथा दिनांक वही

प्रतिलिपि निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. पुलिस महानिरीक्षक, स्थापना, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0 पुलिस कम्प्यूटर केन्द्र, लखनऊ को वेब साइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
3- अनुभाग अधिकारी, अनुभाग-20 को 05 प्रतियों में गार्ड फाइल में रखने हेतु।
4- अनुभाग अधिकारी, अनुभाग-19, पुलिस मुख्यालय।
5. प्रभारी, आई0टी0 सेल, पुलिस मुख्यालय को ई-मेल कराने हेतु।

शासन प्रकरण/आवश्यक

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

1-तिलक मार्ग, लखनऊ-226001

संख्याःडीजी-चार-105(01)2016 दिनॉकःलखनऊःजून 23,2016

सेवा में

पुलिस उपमहानिरीक्षक(मुख्यालय),
उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय,
इलाहाबाद।

विषयः- राज्य सम्पति विभाग,उ0प्र0 शासन के अधीन कालोनियों में अध्यासित अधिकारियों /कर्मचारियों के सेवानिबृत्ति पर अदेयता प्राप्त करना ।

......

कृपया उपर्युक्त विषयक समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव,समस्त विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष व अन्य को सम्बोधित श्री बृजराज सिंह यादव, विशेष सचिव एवं राज्य सम्पति अधिकारी,राज्य सम्पति अनुभाग-2,उ0प्र0 शासन,लखनऊ के पत्र संख्याःआर-4729/32-2-2016 -25/2015 दिनॉक 20.06.2016 प्रति संलग्न का सन्दर्भ गृहण करें, जो भविष्य में अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिबृत्त होने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवानिबृत्तक देयकों के भुगतान से पूर्व राज्य सम्पति विभाग, से सरकारी आवास संबंधी अदेयता प्रमाण-पत्र की पुष्टि के उपरान्त ही देयकों का भुगतान करने तथा इसके विपरीत पाये जाने की दशा में संबंधित अधिकारी से सरकारी आवास के किराये के भुगतान की वूसली किये जाने के निर्देश विषयक है ।

2- निदेशानुसार प्रश्नगत प्रकरण में उ0प्र0 शासन की अपेक्षानुसार सेवानिबृत्त होने वाले कार्मिकों को राज्य सम्पति विभाग की कालोनियों में अध्यासन के संबंध में अदेयता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही सेवानिबृत्तिक देयकों का भुगतान किये जाने के संबंध में सर्वसंबंधित को समुचित प्रभावी निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें ।

संलग्नकः-उपरोक्तानुसार।

(वितुल कुमार)
पुलिस महानिरीक्षक'स्थापना'
उत्तर प्रदेश ।

प्रतिलिपिः-अपर पुलिस महानिदेशक(मुख्यालय)उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय,इलाहाबाद को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नकः-उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपिःविशेष सचिव एवं राज्य सम्पति अधिकारी,राज्य सम्पति अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को सूचनार्थ।

संख्या–आर–4729 / 32–2–2016–25 / 2015

प्रेषक,

बृजराज सिंह यादव
विशेष सचिव एवं राज्य सम्पत्ति अधिकारी,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उ0प्र0 शासन।
समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष,
उ0प्र0 लखनऊ।
समस्त निगम एवं स्वायत्तशासी संस्थाएं,
उ0प्र0 लखनऊ।

राज्य सम्पत्ति अनुभाग–2 लखनऊ:: दिनांक:: 20 जून, 2016

विषय–राज्य सम्पत्ति विभाग, उ0प्र0 शासन के अधीन कालोनियों में अध्यासित अधिकारियों / कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति पर अदेयता प्राप्त करना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0–आर–5185 / 32–2–2015–25 / 2015, दिनांक 20 अगस्त, 2015 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से राज्य सम्पत्ति विभाग की लखनऊ स्थित कालोनियों में अध्यासित विभिन्न विभागों, निगमों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं तथा उनके अधीनस्थ कार्यालयों में तैनात अधिकारियों / कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों के निस्तारण से पूर्व राज्य सम्पत्ति विभाग से मकान किराये सम्बन्धी अदेयता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के निर्देश निर्गत किये गये थे।

2– यह तथ्य शासन के संज्ञान में आया है कि अभी भी कतिपय विभागों / निगमों / स्वायत्तशासी संस्थाओं द्वारा उपरोक्त शासनादेश दिनांक 20 अगस्त, 2015 का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है, जिससे आवास सम्बन्धी बकाये की पूर्ण वसूली न हो पाने से शासन को सतत् वित्तीय क्षति कारित हो रही है।

3– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष भविष्य में अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों / कर्मचारियों के सेवानिवृत्तक देयकों के भुगतान से पूर्व राज्य सम्पत्ति विभाग से सरकारी आवास सम्बन्धी अदेयता प्रमाण पत्र अवश्य प्राप्त करेंगें तथा अदेयता प्रमाण पत्र प्राप्त होने की पुष्टि के उपरान्त ही सेवानिवृत्तिक देयों का भुगतान करेंगें। यदि राज्य सम्पत्ति विभाग से अदेयता प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना ही सम्बन्धित अधिकारी / कर्मचारी के सेवानिवृत्तिक देयों का भुगतान विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष द्वारा कर दिया जाता है तथा अधिकारी / कर्मचारी पर सरकारी आवास के किराये का भुगतान अवशेष पाया जाता है तो उक्त बकाये की धनराशि के भुगतान हेतु सम्बन्धित अधिकारी को दोषी पाते हुए उनसे वसूली की नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

भवदीय,

(बृजराज सिंह यादव)
विशेष सचिव एवं राज्य सम्पत्ति अधिकारी

पुलिस महानिरीक्षक (स्थापना)
उत्तर प्रदेश

संख्या–आर–4729(1)/32–2–2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2–पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
3–जिलाधिकारी, लखनऊ।
4–संयुक्त सचिव, भारत सरकार नगर विकास मंत्रालय(संपदा निदेशालय) नई दिल्ली।
5–सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
6–सचिव, विधान सभा/विधान परिषद।
7–मुख्य सचिव के विशेष सहायक।
8–सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
9–निबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच लखनऊ।
10–राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों के प्रबंध निदेशक।
11–स्थानिक आयुक्त, नई दिल्ली।
12–स्थानिक अधिकारी, कोलकाता।
13–लखनऊ स्थित भारत सरकार के समस्त विभागाध्यक्ष।
14–उ0प्र0 के समस्त मंत्रीगण के निजी सचिव।
15–प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
16–निदेशक, राज्य सम्पत्ति निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
17–निदेशक, पेंशन निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
18–सचिवालय के समस्त अधिष्ठान अनुभाग।
19–विहित प्राधिकारी, राज्य सम्पत्ति विभाग।
20–वित्त(सामान्य) अनुभाग–1
21–सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

(सुधीर कुमार रूंगटा)
सहायक राज्य सम्पत्ति अधिकारी।